सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 25, बुधवार, शाके 1944-जून 15, 2022

Jyaistha 25, Wednesday , Saka 1944- June 15, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 31, 2022

संख्या: 12/भू.अ./ज.स./2021/1369-1372:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मुख्यमंत्री बजट घोषणा अन्तर्गत सुरपुरा डिग्गी के चारो तरफ चैनल निर्माण कार्य के लिए भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सूनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, जोधपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(6) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होगे।

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड जोधपुर के मुख्यमंत्री बजट घोषणा अन्तर्गत सुरपुरा डिग्गी के चारो तरफ प्रस्तावित चैनल निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव।

क्र.स.	कार्य का नाम	जिले का नाम	तहसील	उपखण्ड अधिकारी / भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	सुरपुरा डिग्गी के चारो तरफ प्रस्तावित चैनल निर्माण कार्य	जोधपुर	जोधपुर	उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

फार्म 2

देखे नियम 5

पार्ट बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा -

	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड जोधपुर
क	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विस्तार सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षैत्र और प्रभावित क्षेत्र	मुख्यमंत्री बजट घोषणा अन्तर्गत सुरपुरा डिग्गी के चारो तरफ प्रस्तावित चैनल निर्माण कार्य ग्राम सुरपुरा पंचायत समिति मंडोर जिला जोधपुर में विभिन्न खसरों में 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।
ख	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उददेश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईया भी दे।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
ग	यदि ग्राम सभा और या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है। नोट धारा 4 से पहले धारा 2(1) को लागु नही किया जा सकता है।
घ	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
ड	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जायगी।	हां
च	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड जोधपुर में उपलब्ध

कृष्ण मोहन जायसवाल
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।